कांगड़ा बैंक पत्रिका

Kangra Bank Patrika

(A Mouth Piece of the Kangra Cooperative Bank Ltd.)

C-29, Community Centre, Pankha Road, Janakpuri, New Delhi-110 058
Ph. : 011-25500800, 25515969, Telefax : 011-25525565
E-mail : md@kangrabank.com

वर्ष 4, अंक 42
अप्रैल 2017

सम्पादक मण्डल
अध्यक्ष
लक्ष्मी दास
9968279250

सम्पादक
बी. आर. शर्मा
9312223237

प्रकाशक एवं मुद्रक
अतर चन्द परमार
9810742649

सदस्य
स्नेह लता शर्मा
9810509821

सदस्य
जितेन्द्र शर्मा
9971338889

पत्रिका में प्रकाशित विचार लेखको के अपने हैं। उनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

बैंक की 48वीं वार्षिक आम सभा मे लिये गये निर्णयानुसार पत्रिका का मासिक प्रकाशन त्रैमासिक प्रकाशन में बदल दिया गया है। वर्ष 2017 के पहले त्रैमासिक प्रकाशन की प्रति पाठकों की सेवा में प्रस्तुत है।

आपकी समृद्धि, हमारा संकल्प, आओ मिलकर साथ बढ़ें

दी कांगड़ा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड

सम्पादकीय

- बी. आर. शर्मा

सहकारी बैंक का एन.पी.ए. तथा सदस्यों का उत्तरदायित्व

लगभग दो शतक पहिले NPA की व्यवस्था शुरू की गई थी तथा तभी से यह बैंकों की चिन्ता का कारण बनी हुई है। NPA क्या है ? ऐसा ASSET जो PERFORM नही कर रहा है अर्थात् जिससे बैंक को कोई आय नही हो रही हो NPA कहलाता है। इस वर्ग में बैंक द्वारा दिये गये ऋण तथा बैंक द्वारा की गई INVESTMENTS आती हैं। NPA व्यवस्था शुरू होने से पहिले बैंक जब अपना वार्षिक लाभ निकालता था तो ऋण से प्राप्त हुआ ब्याज तथा जो ब्याज प्राप्त होना है परन्तु DUE हो गया है इनकम में डाल देते थे। इसमें कमी यह थी कि जो इनकम प्राप्त हो चुकी है वह तो ठीक है पर जो DUE तो है परन्तु बैंक के पास अभी आई नहीं है वह भी इनकम मे डाल दी जाती थी। रिजर्व बैंक ने निर्देश दिया कि जो इनकम अभी तक बैंक के पास आई नही है परन्तु लाभ निकालने के लिये इनकम दिखाई गई है उतनी राशि का प्रावधान किया जाए ताकि बैंक द्वारा दिखाया गया लाभ वास्तविक लाभ हो। सम्भवतः यह व्यवस्था भी कारगर साबित नही हुई तथा तब NPA की व्यवस्था लागू की गई। NPA की व्यवस्था बैंक पर दोहरी मार करती है। बैंक का लाभ निकालने के लिए केवल वही इनकम ली जाती है जो बैंक के पास प्राप्त हो चुकी हो। पहिले की तरह जो इनकम DUE तो है परन्तु बैंक के पास अभी आई नहीं है वह लाभ निकालने के लिये नही गिनी जाती। दूसरी मार तब पड़ती है जब NPA की राशि का भी NORMS के हिसाब से प्रावधान करना पड़ता है। क्योंकि NPA के कारण बैंक के लाभ पर दुष्प्रभाव पडता है, इसलिये सभी बैंक सदैव प्रयत्नशील रहते है कि उनका NPA कम से कम रहे। सहकारी बैंकों के ऊपर रिजर्व बैंक का नियत्रण तो रहता है, परन्तु उन्हें कोई आर्थिक सहायता नही मिलती, इसलिए उन्हें NPA के ऊपर नियन्त्रण करने के लिए उन सभी निम्नलिखित विकल्पों को काम में लाना चाहिए जो डिफाल्टर सदस्यों से वसूली करने में सहायक होते हैं।

1. आरविट्रेशन द्वारा
2. NIA के सैक्शन 138 द्वारा कारवाई करने से
3. कार्यालयों से कटौती करवा कर
4. सरफेसी (SARFEASI) एक्ट को लागू कर प्रापर्टी को बेचकर।

उपरोक्त उपायों को लागू करने की उचित व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए ताकि डिफाल्टर सदस्य पर शीघ्र कारवाई की जाए। जितनी देर से कारवाई की जाएगी वसूली होने के चान्स कम होते जाऐंगे। यदि गाड़ी के ऋण की वसूली की कारवाई देर से होगी तो उसकी कीमत कम होती जायेगी तथा शेष बची राशि को माफ करना पड़ेगा। NPA केसों की शीध्र पहचान की जाए तथा उस पर यथोचित कारवाई निरन्तर की जाए तभी इस राशि में कमी आयेगी। NPA के ऊपर कारवाई यथा समय तथा निरन्तर की जाए इसके लिए एक सीनियर पद्‌धिकारियों की उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया जाये जो निरन्तर स्थिति को मौनिटर करें। उपरोक्त कारवाई तो बैंक की ओर से की जाती है। NPA कम करने मे ऋण लेने वाले सदस्य भी सहायक हो सकते हैं। कुछ सदस्य नियमित रूप से ऋण की किश्तें देते हैं, परन्तु अपनी किश्त की निर्धारित राशि से कम देते हैं। यदि मासिक किश्त 12000/-रू. है और वे नियमित रूप से 10000/-रू. दे रहें हैं तो भी 90 दिन के बाद ऋण NPA की CATEGORY में आ जाएगा इसलिए सदस्यों को ऋण की उतनी ही राशि का ऋण लेना चाहिए जिसकी मासिक किश्त वे प्रतिमास आसानी से दे सकें। एक और उपाय बैंक कर सकता है कि ऋणी सदस्य को मासिक किश्त के DUE होने के पाँच दिन पहिले SMS द्वारा सूचित करें की आपकी इस तारीख को इतनी राशि की किश्त DUE है तथा SMS, DUE DATE के दो तीन दिन बाद करे की आपकी किश्त नहीं पहुँची है। जहाँ तक INVESTMENTS का प्रश्न है यह पूरी तरह बैंक की सावधानी पर निर्भर करता है। बैंक में सीनियर अधिकारियों की एक टीम इसका फैसला करे कि कौन सी INVESTMENT उपयुक्त तथा सुरिक्षत होगी जिसमें ब्याज की अदायगी में कोई डिफाल्ट नही होगा निदेशक मण्डल CEO से HALF YEARLY एक सर्टीफिकेट ले जिसमें लिखा हो की सभी INVSTMENTS पर DUE ब्याज नियमित रूप से प्राप्त हो रहा है।

मेरा मानना है यदि बैंक इस समस्या के ऊपर यथोचित ध्यान दे, निरन्तर मानिटरिंग करे तो इस पर काफी नियन्त्रण किया जा सकता है। बहुत से बैंको की खराब आर्थिक स्थिति का कारण NPA का निर्धारित सीमा से अधिक होना है। कई बैंक NPA के कारण बन्द होने के कगार पर पहुँच गए हैं तथा कई बैंक ऐसे भी हैं जिनका ग्रास NPA 2-3% तक है। इसका अर्थ है कि यदि समय पर कारवाई की जाए तथा निरन्तर उसको FOLLOW किया जाए तो NPA की समस्या पर काबू पाया जा सकता है।

- लक्ष्मीदास

नोट बन्दी का प्रभाव

भारत सरकार ने पाँच सौ रूपये के नोट और हजार रूपये के नोटों का तुरन्त प्रभाव से चलन बन्द कर दिया। जिसके पास ऐसे नोट थे, उन्हें नोटों को बदलने के लिए 31 दिसम्बर 2016 का समय दिया। सरकार द्वारा लिए गए, अचानक इस निर्णय से, अनिश्चितता का वातावरण बन गया। बैंकों पर पुराने नोट बदलने और नई करंसी उपलब्ध करवाने का दबाव पैदा हुआ। बैंकों में लम्बी लम्बी लाईनें लग गई। ए.टी.एम में कैश आवश्यकता अनुसार निकल नहीं पा रहा था। सहकारी बैंक भी इस चुनौति से बचे नहीं रह सके। सहकारी बैंकों पर दबाव अधिक था। क्योंकि सहकारी बैंकों के जो ग्राहक हैं उनमें से अधिकांश बैंक के सदस्य हैं। सदस्यों की आवश्यकतायें भी थी और उन्हें यह भी लगता था कि हम इस बैंक के सदस्य हैं इसलिए हमारा अधिक ध्यान रखा जाना चाहिए। हमें पैसा बदलने में या नई करंसी उपलब्ध करवाने में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। कुछ सदस्यों की यह समस्या स्वभाविक थी। कार्यकर्ताओं के वेतन बांटना, रोजमरा के खर्च, काम चलाने के लिए तरलता की आवश्यकता आदि आदि। बैंक व्यवस्थापकों पर व्यवस्था करने का दबाव आया। यह कठिन परिस्थिति, कठिन चुनौति! लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि कांगड़ा बैंक के कर्मचारियों, सदस्यों और निर्देशक मण्डल ने इस चुनौति का पूरी हिम्मत और विवेक के साथ मुकाबला किया। नई करंसी उपलब्ध करवाने के लिए रिजर्व बैंक के अधिकारियों का भी यथाशक्ति पूरा सहयोग मिला। जिसके कारण इस चुनौति का मुकाबला करने में थोड़ी आसानी हुई।

सहकारी बैंक के सामने एक तरफ अपने ग्राहकों की आवश्यकताएं पूरी करने की चुनौति थी तो दूसरी ओर बैंक के सदस्यों के सम्मान और आवश्यकताओं का प्रश्न था। मैं स्वयं अलग अलग ब्राचों में जाता था। एक दिन मैं ब्रांच में खड़ा था एक सदस्य ने कहा कि दो दिन बाद मुझे लड़की का शगुन देना है और मेरे पास पैसा नही है। एक ऐसी विकट परिस्थिति जिसमें बैंक का अध्यक्ष भी मजबूर और सदस्य भी मजबूर। ऐसी परिस्थिति तो थी ही। सहकारी बैंकों के सामने बैंक के लक्ष्यों की अपूर्ति का भी प्रश्न खड़ा हो गया। नई करंसी की व्यवस्था के दबाव में बैंक का अन्य कार्य प्रभावित होने लगा। कांगड़ा बैंक ने अपने सदस्यों को ऋण उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। बैंक ऋण देना चाहता था। ऋण चाहने वाले भी थे लेकिन ऋण पास होने पर तरलता कहां से लाएं? इससें जनरल लोन वालों की समस्या अधिक हुई। लाख दो लाख ऋण मजूंर हुआ। उसके खाते में भी चला गया लेकिन निकालें कैसे ? इस तरह उस ऋण पर ब्याज लगना भी शुरू हो गया और वह आवश्यकतानुसार पैसा निकाल भी नही सकता। इसलिए ऋण की मांग कम होने लगी और चलते चलते, कांगडा बैंक का फरवरी मास में ऋण जो 31 मार्च 2016 को 459 करोड़ था और यह पाचं सौ करोड़ से भी अधिक होना था घटकर 453 करोड़ रह गया दूसरी तरफ लोंगों के पास पांच सौ और हजार के नोट बैंक में आने लगे। ऋण कम होने लगा जमा राशियां बढ़ने लगी। सी.डी. रेशो का संकट भी पैदा हो गया और पुराने नोटों को कहां रखें यह भी विकट समस्या खड़ी हो गई। कांगड़ा बैंक जिसकी सी.डी. रेशो 70% पार कर गई थी और रिजर्व बैंक से एक माह के भीतर एक से अधिक चेतावनी पत्र आ गये उस कांगड़ा बैंक की सी. डी. रेशो घटकर 45% से भी नीचे आ गई। बैंक के जानकार यह जानते हैं कि जब सी.डी. रेशो बढ़ती है तो लाभ बढ़ता है और सी.डी. रेशो घटती हैं तो लाभ घटता है। कांगड़ा बैंक की जमा राशियां बढ़ी तो ब्याज की देनदारी बढ़ी और ऋण कम हुआ तो ब्याज की लेनदारी घटी। इस तरह कांगडा बैंक के लाभ को प्रभावित होने की संभावना भी बढ़ गई जिस कारण निर्देशक मण्डल का चिन्तित होना स्वभाविक था। लेकिन सभी लोगों ने प्रयास किया कर्मचारियों ने प्रयास किया, निर्देशक मण्डल ने प्रयास किया। कुछ का प्रयास सफल हुआ, कुछ ने प्रयास नहीं भी किया और कुछ का प्रयास सफल नही हुआ। लेकिन कुल मिलाकर 31 मार्च, 2017 की बैंक की वित्तीय स्थिति काबू में नजर आ रही है। सारी स्थिति तो आडिट के बाद स्पष्ट होगी। लेकिन जो दिखाई दे रहा NPA को छोड़कर वह अधिक चिन्ताजनक नही है बल्कि जिस परिस्थिति में काम हुआ, वर्ष 2016-17 बीता उसमे कांगड़ा बैंक की स्थिति कांगड़ा बैंक के वित्तीय परिणाम उत्साह जनक ही हैं।

इस पराक्रम के लिए बैंक कर्मचारी, निदेशक मण्डल और बैंक सदस्य बधाई के पात्र हैं और हमारे सारे प्रयासों के बावजूद, नोट बन्दी के कारण, जिन सदस्यों को कठिनाई का सामना करना पड़ा उनसे हम क्षमा प्रार्थी हैं। आओ मिलकर कांगड़ा बैंक को मजबूत बनाएं।

विमुद्रीकरण (DEMONETIZATION) और आपका बैंक - एक समीक्षा

अत्तर चंद परमार

जब 8 नवम्बर 2016 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सांय 8:15 बजे नोटबंदी की घोषणा की तो सारे भारत में भूकंप सी सनसनी फैल गयी । कुछ लोगों को लगा कि प्रधानमंत्री भारत व पाकिस्तान के कड़वे होते रिश्ते के बारे में बोलेंगे या शायद दोनों देशों के बीच में युद्ध का ऐलान ही ना कर दें ? लेकिन यह घोषणा तो कुछ लोगों के लिए युद्ध के ऐलान से भी घातक सिद्ध हुई। उनकी रातों की नींद उड़ गई। कुछ लोग होशोहवास खोते हुए ज्वेलर्स के पास दौड़े व उलटे-सीधे दामों में सोना खरीदने लगे। कुछ लोगों ने अपने परिचित बैंक कर्मचारियों को फोन कर अनगिनत प्रश्न पूछने शुरू कर दिए। काँगड़ा बैंक से मेरा नाता लगभग तीन दशकों से ज्यादा का रहा है और स्वाभाविक था की मुझे भी इस तरह की फोन कॉल्स आनी शुरू हो गयी थीं।

काँगड़ा बैंक के लिये भी अन्य बैंकों के भान्ति ये चुनौती भरा समय था। अगले दिन यानी 09/11/2016 को देश के सभी बैंक पब्लिक डीलिंग के लिए बंद कर दिए थे और निर्देश दिया गया था की बैंक इस सरकारी घोषणा का सही रूप से क्रियान्वित करने हेतु आवश्यक तैयारी करें। सभी बैंक के ATM का आपरेशन 10/11/2016 तक के लिए बंद कर दिया गया । इस हड़बड़ाहट की अवस्था में जब RBI की गाइडलाइन्स भी हम जैसे छोटे बैंक में समय पर ना मिलने से बैंक मैनेजमेंट और स्टाफ सिर्फ TV पर प्रसारित समाचार तथा सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के आधार पर तैयारी करने मैं जुटा था। जैसे कैसे इन्टरनेट से RBI गाइडलाइन्स पढ़ने को मिलीं और हमारा बैंक भी सरकार के नियमों का पालन करने मैं बड़ी ही तत्परता से आगे बढ़ने का प्रयास करने मैं कूद पड़ा। हमारे ग्राहकों / सदस्यों की जानकारी हेतू में उन सब कठिनाईयों और उनका समाधान आपके बैंक ने कैसे कैसे किया की जानकारी देने का प्रयास इस लेख के माध्यम से देना चाह रहा हूँ।

आम जनता तथा अन्य संस्थाएं मौजूदा 500 रु. तथा 1000 रु. के बैंक नोटों को बदल सकें, इस हेतु आपके बैंक द्वारा निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गयी।

1) शाखाओं में लगे सभी एटीएम में से 500 रु. तथा 1000 रु. के बैंक नोटो को 09 नवंबर 2016 प्रातः निकाल कर ब्रांच कैश चेस्ट में रखा गया तथा सभी ATM को पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया ।

2) सभी शाखाओं तथा पहाड़गंज स्थित मुख्य कैश चैस्ट में रखे गए कैश की दुबारा गणना की गयी और बंद किये गए नोट तथा चालू नोटस के अनुसार कैश बैलेंस रिपोर्ट RBI द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में बनाई गयी। रिपोर्ट में पाया गया की बैंक के पास ग्राहकों को बाँटने के लिए सिर्फ सभी छोटे और बड़े चालू नोट्स को मिलाकर बैलेंस मात्र लगभग दो करोड़ ही रह गया था।

3) 11 नवंबर, 2016 को सभी एटीएम को पुनः कार्यशील करने से पूर्व 100 रू. तथा 50 रू मूल्यवर्ग के बैंक नोट वितरण करने हेतु ATM को दुबारा कोन्फिगर (configure) करने के लिए एटीएम सप्लायर, स्विच सर्विस प्रोवाइडर और CBS सॉफ्टवेर सप्लायर तीनों कंपनियों जो दिल्ली से बहुत दूर से अपना कारोबार करती हैं को एक साथ कई लंबी लंबी कांफ्रेंस कॉल्स के जरिये बैंक की IT SECTION द्वारा पूरे कार्य को बहुत ही चुस्ती और दुरुस्ती से किया। यह लिखना गलत नहीं होगा की इन कंपनियों के पास उस समय काम का अन्य बैंकों की वजह से कितना प्रेशर रहा होगा और उनका पूरा ध्यान सिर्फ बड़े बैंकों के प्रति ही था ।

4) RBI का निर्देश था की सभी पुरानी करेंसी जिसे चलन से बंद कर दिया था उसे RBI या RBI द्वारा निर्धारित बैंक (VIJAYA BANK, Paharganj Branch) मै हर रोज जमा करवाया जाये। नयी करेंसी भी इसी तरह इन्हीं बैंक के माध्यम से ली जाये। VIJAYA BANK और RBI दोनों से हर समय संपर्क में रहना पड़ा क्योंकि RBI तभी नयी करेंसी देता था जब विजय बैंक मना कर देता था। विजय बैंक का पूरा ध्यान स्वाभाविक रूप से अपने बैंक की शाखाओं के प्रति ज्यादा था और हमारी डिमांड को बहुत ही कम तबज्जो दी जाती थी । RBI के पास भी घंटों लाइन्स में लगकर हमारी बारी आती थी और पता भी नहीं चलता था की इतने लंबे इंतजार के बाद कैश मिलेगा भी या नहीं । बैंक ने इसके लिए दो टीमें गठित की जिनका नेतृत्व बैंक के CEO और AGM महोदय को दिया गया। दोनों वरिष्ठ अधिकारियों को सुबह ही लाइन मैं लगना पड़ता था। तीन चार दिनों में एक बार ही कैश (CASH) मिलता रहा और जो हमारी आवश्यकता के लिए बहुत ही कम होता था ।

5) बैंक की शाखाओं में एक साथ कई नए काउंटर्स की व्यवस्था की गई। एक तरफ नोट बदलने की लाइन और दूसरी तरफ पुराने नोट को जमा करने और नई करेंसी लेने के लिए अपार भीड़ का सामना करना पड़ा। बैंक कर्मचारियों और अधिकारिओं के लिए ये बहुत ही कठिन परीक्षा की घड़ी थी। बैंक के बोर्ड मैंबर्स की टीम चेयरमैन साहब की अगुवाई में हर ब्रांच में मुस्तैदी से पब्लिक को सँभालने के कार्य में लगातार जुटी रही।

6) RBI या VIJAYA BANK से जितना भी कैश उपलब्ध होता था उसकी सूचना SMS के जरिये हेड ऑफिस भेजी जाती थी और हेड ऑफिस से एकदम सभी शाखाओं को कैश आबंटन की सूचना ईमेल E-MAIL / SMS द्वारा दी जाती ताकि कस्टमर्स की भीड़ को देखते हुए प्रति व्यक्ति कैश निकालने की सीमा तय की जा सके। शाखाओं को कैश आबंटन तथा ग्राहकों की शिकायतों का निवारण लगातार हेड ऑफिस में मुख्य सल्लाहकार श्री बी आर शर्मा जी की अगुवाई में बहुत ही संतोषजनक तरीके से किया गया।

7) RBI के निर्देशानुसार सभी शाखाओं में नकली नोट की पहचान, नोट जल्दी और आसानी से गिनने के लिए आवश्यक मशीनों का प्रबंध किया गया जिससे बैंक से कोई भी धोखाधड़ी न कर सके और ग्राहकों को भी असुविधा न हो।

8) बैंक की दैनिक कार्य अवधि में भी ग्राहकों की सुविधा हेतु आवश्यक परिवर्तन किया गया। बैंक स्टाफ को कैश मिलाने और अन्य दैनिक कार्य पूरा करने के लिए हर रोज लगभग सांय 8:00 बजे तक लगातार बैठना पड़ा ताकि CBS द्वारा बैंक का सही रूप से DAY END किया जा

सके। RBI की रिपोर्ट्स हेड ऑफिस के माध्यम से लगातार तरह तरह के फार्मैट्स (FORMATS) में बनवानी और समयनुसार भेजने का कार्य बिना विलंब से पूरा किया गया।

9) RBI द्वारा समय समय पर जनता की असुविधाओं के निवारण हेतु नियमो में परिवर्तन करना पड़ा जिसके बारे में आप सभी को TV / NEWS PAPERS के माध्यम से पता चलता रहा। नियमों का सही रूप से पालन हो और ग्राहकों को भी RBI निर्देशानुसार कैश भुगतान हो इसके लिए बैंक अधिकारियों / IT SECTION को रात- रात भर बैठ कर CBS (कंप्यूटर सिस्टम) में CBS सर्विस प्रोवाइडर के जरिये बदलना पड़ा। ये बहुत ही कठिन समस्या हमारे सामने थी जिसका सामना आपके छोटे से बैंक ने हिंदुस्तान के बड़े बड़े बैंकों की भांति जिनके पास वो तमाम सुविधायें थी जिनका हमारे बैंक में अभाव था, का बड़ी तत्परता और लग्नता से किया और एक भी दिन ग्राहकों को नियमों के बदलाव से असुविधा नहीं होने दी।

10) RBI के निर्देशानुसार बैंक में इकट्ठे किये हुए पुराने नोटों को RBI या VIJAYA BANK में तुरंत जमा करने की हिदायत थी और बैंक अधिकारियों, चेयरमैन तथा मुख्य सल्लाहकार सहित सभी के अनथक प्रयासों के बावजूद हमें इसमें सफलता नहीं मिली। परिणाम स्वरुप बैंक की मुख्य कैश चेस्ट में बंद की गई करेंसी का बेताह अम्बार लग गया और बैंक के सामने असहाय होकर रहने के सिवाय कोई चारा नहीं था। मैं इस बात का जिक्र करना यहाँ जरुरी समझता हूँ की इसका दुष्परिणाम बैंक की वित्तीय स्थिति पर पड़ा क्योंकि जब तक हम ये बंद की हुई करेंसी जमा नहीं करवाते बैंक के RBI और VIJAYA बैंक के खातों (एकाउंट्स) में क्रेडिट नहीं मिलता और बिना क्रेडिट बैलेंस के बैंक की कैश की जरुरत को कैसे पूरा किया जाये। BANK को अपनी लंबे और अच्छे ब्याज दर पर रखे गए फिक्स्ड डिपाजिट (FD) को समय से पहले भुनाना (ENCASH) पड़ा ताकि हमारे RBI और VIJAYA बैंक के खातों में आवश्यकतानुसार बैलेंस बना रहे। बैलेंस कम होने की स्थिति में एक तरफ पब्लिक को कैश भुगतान करना और दूसरी तरफ आवश्यक कैश रिजर्व रेशो (CRR) को बनाये रखना बहुत ही गंभीर एवं कठिन कार्य था। पाठकों को जानकारी होगी की CRR में RBI किसी भी तरह की कमी आने पर कड़ी करवाई करता है जिसमे बैंक को भविष्य में ब्रांच खोलने की अनुमति ना देना भी शामिल है। इस तरह के हालात में बैंक के पदाधिकारियों एवम कर्मचारियों ने बड़ी ही जिम्मेदारी से ऐसी कठिन स्थिति में हर संभव प्रयास करते हुए बैंक प्रबंधन किया।

11) आखिर वो दिन भी आ गया जिसके बाद सभी पुराने बंद किये हुए करेंसी नोट्स सभी बैंकों को RBI या अधिकृत बैंकों (हमारे लिए VIJAYA BANK) में जमा करवाने थे अन्यथा ये सभी के सभी बेकार हो जाते और बैंक को भारी नुक्सान पहुँचता। ये दिन 31 /12 /2016 का था और बैंक के पास 211 करोड़ की बंद की गयी मुद्रा लोगों द्वारा जमा की गयी थी जिसे हर हालात में विजय बैंक (VIJAYA BANK) या भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) में जमा करना था। दोनों बैंकों के अधिकारियों की मजबूरी थी की इतनी रकम कौन गिनेगा और कहाँ रखीं जाएगी। शाम के 6 बजे तक कोई भी समाधान नहीं मिल पाने से बैंक के सभी पदाधिकारीगण बहुत ही परेशान थे कि इतना बड़ा नुकसान बैंक की कोई गलती न होने पर भुक्तना पड़ेगा। हमारे CEO महोदय ने पता नहीं कितने चक्कर RBI और VIJAYA बैंक के कार्यालयों के लगाए और सभी शीर्षाधिकारिओं से मुलाकात करने के बाद भी कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी। CEO महोदय ने VIJAYA BANK के अधिकारियों को लगभग शाम 9 बजे वाल्ट इन कस्टडी (vault in custody) के लये सहमत करवा लिया और सारी करेंसी को VIJAYA BANK ने हमारे बैंक की चेस्ट में बिना गिने ले लिया और अपना ताला लगा कर हमारे तीन SECURITY GAURDS की तैनाती रात दिन लगा कर और हमारी चिंता को बहुत हद तक खत्म कर दिया। हालांकी इससे भी बैंक को उतनी राहत नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी क्योंकि VIJAYA BANK ने इस रकम को हमारे बैंक के प्रयोग लाने से इनकार तब तक के लिए कर दिया जब तक वो इसे गिन और चेक नहीं कर लेते। बंद किये हुए 500 और 1000 के करेंसी नोट गिनने की प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग एक महीना लगा और सदस्यगण अंदाजा लगा सकतें हैं की बैंक किन किन कठिनाओं से गुजरा लेकिन बैंक के ग्राहकों को कोई भी असुविधा नहीं होने दी और आपके बैंक को भारी नुक्सान से भी बचाया।

12) बैंक की सभी शाखाओं में RBI OFFICIALS ने दो बार आकर इस बात की छानबीन की क्या बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों ने RBI निर्देशानुसार कार्य किया है या नहीं ? कोई गड़बड़ी तो नहीं की है ? क्या सारी रिपोर्ट्स सही रूप से भेजी हैं या नहीं ? मैं यह बात गर्व से आप सभी को बताना चाहता हूँ की आपके बैंक मैं RBI Officials को किसी भी इस तरह का कोई भी कार्य नहीं मिला और हमारे बैंक की क्रियाप्रणाली की बहुत ही सराहना की गयी। इस दौरान हमने अपने ग्राहकों को बैंक द्वारा दी जाने वाली अन्य सभी सेवायें भी बिना किसी शिकायत के जारी रक्खी। मैं यदि इस बात के लिए अपने कर्मचारियों और अधिकारियों का धन्यबाद न करूँ तो ये मेरे पूरे कार्यकाल की शायद सबसे बड़ी गलती होगी ।

मेरा इस लेख के लिखने का कारण सिर्फ आप लोगों को यह जानकारी देना हैं की बैंक के कर्मचारियों और निदेशक मंडल ने इस कठिन कार्य को किस तरह से पूरा किया और हमारे बैंक ने भारत सरकार के निर्णय को लागू करने मैं अपना सहयोग बिपरीत परिस्थियों के होते हुए भी बड़ी ईमानदारी, लग्नता और निष्ठा से किया। मैं इस बात से इन्कार नहीं कर सकता की आपको इस दौरान कुछ तकलीफ अवश्य रही होगी पर हमारी हमेशा यही कोशिश रही की आपको कम से कम असुविधा हो और बैंक का कार्य भी RBI निर्देशनुसार चलता रहे। एक सहकारी बैंक के नाते हमारी कठिनाईयां शायद और बैंकों से ज्यादा रही हों पर हमारा योगदान देश और देशवाशियों के लिए उनसे कम कदापि नहीं आँका जा सकता। मेरा ये भी परम कर्तव्य बनता है की मैं VIJAYA BANK और RBI के उन तमाम अधिकारियों का धन्यबाद करूँ जिन्होंने हमारा इस कठिन समय पर सहयोग देकर मार्ग दर्शन किया।

मुझे लगता है ....हमारे बैंक ने विमुद्रीकरण प्रक्रिया के दौरान सही रूप से अपनी इन पंक्तियों **"Service to community with smile through co-operative "** का जिसका जिक्र हम यदा कदा करतें रहते हैं, पालन करने मैं कोई कसर नहीं छोड़ी ।

बैंक सदस्यों को भावभीनी श्रद्धांजलि

(सितम्बर 2016 से मार्च 2017 के बीच में बैंक द्वारा प्राप्त सूचना अनुसार)

LF.NO.	M.SHIP NO	NAME	LF.NO.	M.SHIP NO	NAME
PG 6/38	1965	HARI CHAND SHARMA	PG 30/79	9965	VIJAY KUMAR
PG 2/121	7008	GIAN CHAND	PG 5/112	1604	KESRI LAL DUTTA
PG 62/63	20452	GYANESHWAR KUMAR	PG 4/284	1475	TULSI RAM SHARMA
PG 40/121	13910	HARBANS SINGH	JP 3/49	7411	JAGDISH CHAND RANA
PG 69/52	30793	DINESH KUMAR NAGPAL	JP 12/245	1667	HANSRAJ
PG 42/107	14496	SUDESH KUMAR	JP 12/266	35486	SHANKAR SHARMA
PG 35/51	11440	RAJ KUMAR	JP 13/121	36085	SHAILENDER KUMAR
JP 1/1	900	JOGINDER SINGH	JP 13/291	36894	SUKH RAM MANDAWR
JP5/61	16130	RAMESH CHAND SHARMA	JK 9/74	3434	NARINDER KUMAR
JP 17/74	45838	HARISH KUMAR	JK 18/182	37357	KISHORI LAL
JP 17/591	48579	DARSHAN LAL	JK 23/886	53516	SATISH KUMAR
JP 17/72	45836	RAMESH CHAND	GP 12/260	35995	DALJEET SINGH
JK 14/257	23464	KRISHAN DUTT VASHISHT	PG 26/238	8925	RAJ KUMAR
RN 6/108	9666	PREM CHAND	JP 2/218	21013	JAI RAM THAKUR
RN 17/233	40958	RAKESH DHANKHAR	JP 4/268	4174	BALDEV CHAND
RN 11/203	32696	PRITAM SINGH	JP 18/217	53677	DINESH KR SHARMA
GP 9/248	30602	RAMESH CHAND PRASHAR	JP 7/202	27540	VINAY KUMAR
SB 1/55	43653	SUDERSHAN RAWAT	JP 2/214	21009	SURESH CHAND THAKUR
SB 1/674	18351	GAURAN RANI SHARMA	JK 6/131	6419	RAMESH CHAND CHUAG
PG 37/270	13159	VINAY KR SHARMA	JK 17/235	36598	SURINDER KR KAPOOR
PG 13/85	4872	RIKHI RAM	JK 21/287	7934	V.P.SINGH
PG 7/45	21702	SATPAL SINGH PATIAL	JK 23/343	49075	SAURABH SHARMA
PG 2/37	16124	DHARAM SINGH PATIAL	JK 11/208	655	DHANI RAM SHARMA
JK 20/34	39224	OM PARKASH KHURANA	JK 21/169	40790	AJAY KR THAKUR
JK 6/124	4141	BHAGWAN DASS	JK 23/577	50162	RAJESH GOYAL
GP 1/215	15356	SUKHVIN DER SINGH	JK 6/3	23217	RAJINDER KUMAR
MV 1/490	31347	KANWAR ACHAHAR SINGH	RN 13/119	34146	JAGDISH PAL POPLI
PG 43/27	14716	HARJEET SINGH	RN 1/33	22578	VASDEV MALHOTRA
PG 8/49	2845	PARMOD CHAND	RN 2/273	4893	RAJINDER SINGH
PG 74/83	37043	JASWANT RAI ARORA	GP 17/116	46588	SUKHDEV SINGH GILL
JK 11/252	28988	SARWAN SINGH	GP 8/30	7475	SIMRO DEVI
JK 9/154	18094	PURSHOTAM DASS	GP 7/72	27397	TARLOCHAN SINGH
RN 5/122	11701	RAMESH RANA	SB 1/871	29790	RAM PARKASH SHARMA
RN 8/189	29560	AGYA RAM SHARMA	SB 1/963	6969	BHAGWAN DASS
RN 12/29	30482	NARESH SOLANKI	PG 13/272	5059	DAULAT RAM SHARMA
RN 1/102	3348	KISHAN CHAND CHOUHAN	PG 17/175	6162	RAVI DUTT SHARMA
RN 18/852	47776	RAJIV MEHRA	PG 66/72	28231	KULDEEP KUMAR
GP 3/259	25946	BALDEV SHARMA	PG 3/267	2263	USHA SHARMA
GP 4/249	26209	JATINDER SINGH	JP 8/274	18929	HANS RAJ GULERIA
PG56/252	18841	SUSHIL KR BHAT	JK 19/119	38084	HARBHAJAN SINGH
MV 2/143	46282	MEENA KAUSHIK	JK 23/285	48598	GURMEET SINGH
RN 17/179	4573	NARINDER NATH DOGRA	GP 10/219	10812	NARESH KUMAR NAG
PG 16/35	5722	ONKAR CHAND	GP 5/249	26477	GURMEET KAUR
PG 26/44	8731	BHAGAT RAM SHARMA	GP 1/11	14720	AJMER SINGH
PG 42/102	14491	B.R. DOGRA			

बैंक की 48वीं वार्षिक आम साधारण सभा का आयोजन 25-09-2016 को सफलता पूर्वक किया गया

बैंक कि गोविंदपुरी शाखा 16-02-2017 को नए स्थान पर सफलता पूर्वक स्थान्तरित की गयी

श्री प्रेमपाल शर्मा, हैड सिक्योरिटी गार्ड, अपनी लम्बी सेवाओं के पश्चात सम्मानपूवर्क रिटायर्ड हो गए

बैंक सदस्यों एवं कर्मचारियों के वे मेधावी छात्र जिन्होनें सत्र 2015-16 की 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त किये थे और बैंक की 48वीं वार्षिक आम साधारण सभा पर उपस्थित थे, बैंक पदाधिकारियों से सभा में नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र लेते हुए

बैंक सदस्यों एवं कर्मचारियों के वे मेधावी छात्र जिन्होनें सत्र 2015-16 की 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त किये थे और बैंक की 48वीं वार्षिक आम साधारण सभा पर उपस्थित थे, बैंक पदाधिकारियों से सभा में नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र लेते हुए

Date of Publication : 13th-14th/04/17 **Reg. No. DELBIL/2013/50868**

प्रकाशक एवं मुद्रक ए. सी. परमार, निवासी B 702, महालक्ष्मी अर्पाटमेन्ट, सेक्टर 2, द्वारका, नई दिल्ली द्वारा दी कांगड़ा को-ऑपरेटिव बैंक लि. सी-29, कम्यूनिटी सेंटर, पंखा रोड, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058
के लिए प्रकाशित तथा मैसर्स रॉयल इम्परेशन, 94 स्टेट बैंक नगर, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110063 द्वारा मुद्रित, सम्पादक: बी.आर.शर्मा